उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग---1

संख्या-13/2/84-का-1/97

लखनऊ, 23 अगस्त, 1997

कार्यालय-ज्ञाप

समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 जून, 1984 में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति हेतु विलम्ब से चयन सम्पन्न किये जाने की दशा में ऐसे सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के नाम भी पात्रता सूची में सामिल किये जायं, जिनके नाम संगत सेवा नियमों के अन्तर्गत पात्रता सूची में होते, यदि चयन समय से कराया गया होता, भले ही चयन के समय उसमें से कुछेक कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हों, अथवा उनकी मृत्यु हो चुकी हो । उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2 में ऐसे मृत एवं सेवानिवृत सरकारी सेवकों को, उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित वर्ष (दिनांक) से नोशनल पदोन्नति दिये जाने पर विचार करने का उल्लेख भी किया गया है ।

2--उपरोक्त के संदर्भ में शासन के समक्ष यह प्रश्न आया है कि क्या किसी कार्मिक को रिक्त घटित होने की तिथि से पदोन्नति पाने का अधिकार है तथा क्या किसी सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिक को किसी ऐसी पूर्वगामी तिथि से नोशनल पदोन्नति दी जा सकती है, जिस तिथि को, वह कार्मिक न तो स्वयं पदोन्नति से सम्बन्धित पद पर कार्यरत था और न ही उसका कोई कनिष्ठ पदोन्नति से सम्बन्धित उक्त पद पर कार्यरत था ।

3--उपरोक्त बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त तथा सभी विधिक पहलुओं को दृष्टि में रखते हुये इस विषय पर पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों/प्राविधानों को निरस्त करते हुए शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :--

"उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली 1978 के नियम 8 तथा उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के नियम (2) के अनुसार प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूची तैयार करने का प्रावधान है । इसका आशय यह है कि सम्बन्धित वर्ष में जो कार्मिक पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अर्ह थे उनके नाम उस वर्ष की पात्रता सूची में रखे जायेंगे, भले ही चयन की कार्यवाही के समय कार्मिक की मृत्यु हो चुकी हो अथवा वह सेवानिवृत्ति हो चुका हो । परन्तु जहां तक नोशनल पदोन्नति का प्रश्न है, रिक्ति की तिथि से पदोन्नति दिये जाने की कोई विधिक बाध्यता नहीं है । सम्प्रति नोशनल पदोन्नति सदैव कनिष्क की पदोन्नति की तिथि से ही विचारणीय होती है बशर्ते कि कनिष्क की पदोन्नति से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक को चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो ।

4--अतः अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का सभी ऐसे मामलों में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

आज्ञा से,
जगजीत सिंह,
सचिव ।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(5) समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव ।

आज्ञा से,
के0 एम0 लाल,
विशेष सचिव ।

पो0 एस0 यू0 पो0--ए0 पो0 28 सा0 नियुक्ति--4-12-97--(1904)--1997--2000 (मेक0) ।